न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 215/2017 **RCMS 2017/00263**

वादीगण

1. सोहनलाल पुत्र स्व. भंवरलाल जाति बावरी निवासी कड़वा का बास, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
2. जानकी पत्नी स्व. भंवरलाल जाति बावरी निवासी कड़वा का बास, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चुनादेवी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति बावरी
2. गौरादेवी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति बावरी
3. चूंकादेवी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति बावरी
4. सायरीदेवी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति बावरी
5. धापूदेवी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति बावरी निवासीगण कड़वा का बास, कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
6. तहसीलदार कुचामनसिटी प्रतिनिधि राजस्थान सरकार।

दावा घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट. 1955

उपस्थित :– श्री जसराज एवं श्री दिव्यराज अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

निर्णय

दिनॉक :– 04.02.2020

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 स्व. शिवराम उर्फ श्योराम पुत्र सरदारा के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिसकी पारिवारिक वंशावली निम्न प्रकार से है :–

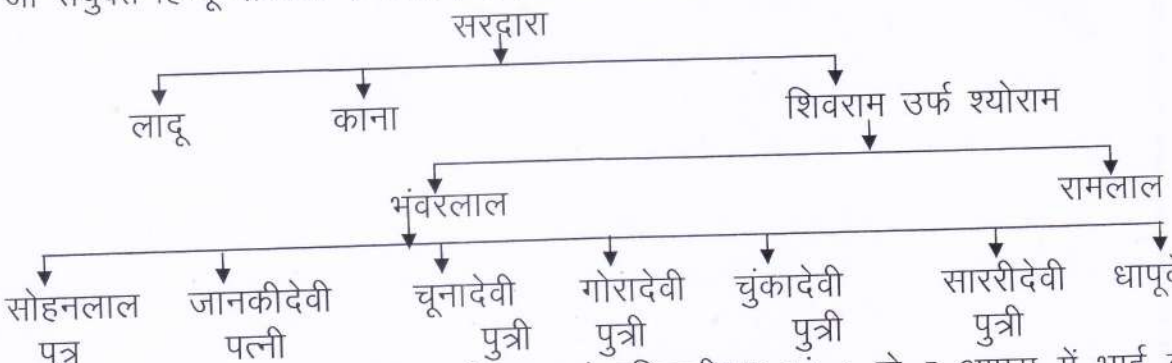

उक्त वंशावली के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 आपस में भाई बहिन माता है जो स्व. सरदारा के पौत्र भंवरलाल के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है तथा सरदारा के परिवार के सदस्य होने से संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है, आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी

नम्बर 745 रकबा 5794 बीघा 11 बिस्वा वाके कुचामनसिटी (तत्कालिन समय) वर्तमान तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान में स्थित है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पूर्व जागीरदार राजा हरिसिंह राजपूत की खातेदारी में दर्ज थी तथा जागीरदार के द्वारा काश्तकारो के माध्यम से उक्त आराजी पर काश्तकार उसका उपयोग उपभोग करते थे इस प्रकार उक्त आराजी कभी भी गै.मु.खारड़ा की आराजी नही रही है किन्तु भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने गलती से संम्वत 2008 की जमाबंदी में उक्त आराजी की किस्म गै.मु.खारड़ा गलत दर्ज की है जो बिना किसी सक्षम अधिकारियो व बिना किसी न्यायालय आदेश के दर्ज किये जाने से बमुकाम वादीगण उक्त इन्द्राज को अवैध व शून्य घोषित कराने के अधिकारी है, राजस्थान राज्य का गठन हो जाने के कारण जागीरदार प्रथा को समाप्त कर दिया तथा राजस्थान में जागीरदारो के समय काबिज काश्तकारो को खातेदारी प्रदान करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को राज्य सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. एफ 1 (37) रेवेन्यू बी/55 दिनॉक 14.10.1955 जिसका राजस्थान राजपत्र एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में दिनॉक 15.10.1955 को प्रकाशित कर प्रभावी किया गया है, जिसके विधिक प्रावधानों की पालना में राजस्थान राज्य में प्रथम भू–प्रबन्ध की कार्यवाही सम्वत 2011–2029 मे की गई तथा काबिज काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, इसी अनुसरण में खसरा नम्बर 745 की उक्त आराजी पर काबिज काश्तकारो मे से निम्न काश्तकारो के कब्जे को नियमित कर आदेश क्रमांक/राजस्व/459 दिनॉक 5.6.1973 को खातेदारी की गई :–

क्र.सं.	ख.नं.	रकबा	नाम काबिज काश्तकार	नियमित संवत
1	745	11बीघा 8 बिस्वा	काना पुत्र सरदारा	सम्वत 2018
2.	745	8 बीघा	गोकुलराम पुत्र नारायण	सम्वत 2018
3.	745	20 बीघा	लादू पुत्र सरदारा	सम्वत 2018
4.	745	4 बीघा 10 बिस्वा	नानू पुत्र जीवण	सम्वत 2018
5.	745	5 बीघा 15 बिस्वा	लादूराम पुत्र शिवकरण	सम्वत 2018
6.	745	02 बीघा	हनुमानदास पुत्र नारायण	सम्वत 2018
7.	745	10 बीघा	बोदूराम पुत्र जगदीशदास	सम्वत 2018
8.	745	06 बीघा	गणेशराम पुत्र माल्या	सम्वत 2018
9.	745	03 बीघा	रतनदास पुत्र नारायणदास	सम्वत 2018
10.	745	04 बीघा	शंकरनाथ पुत्र कालूनाथ	सम्वत 2018
11.	745	08 बीघा 03 बिस्वा	मूलाराम पुत्र लिछमणराम	सम्वत 2018
12.	745	04 बीघा	रूडमल पुत्र मनसुख	सम्वत 2018
13.	745	12 बीघा	गोविन्दलाल पुत्र लादू	सम्वत 2018
14.	745	11 बीघा 03 बिस्वा	रामचन्द्र पुत्र जोधा	सम्वत 2018
15.	745	24 बीघा	हनुमान पुत्र नारायणदास	सम्वत 2018

इस प्रकार उपरोक्त खसरा नम्बर 745 की आराजी मे से तहसीलदार के आदेश क्रमांक/राजस्व/459 दिनॉक 05.06.1973 के द्वारा कब्जा काश्त नियमित कर खातेदारी दी गई जिसका अंकन हल्का पटवारी द्वारा सम्वत 2018 की समस्त गिरदावरी में किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात कभी नाकाबिल काश्त व गै.मु.खारड़ा की, किस्म आराजी नही रही है केवल मात्र गलत इन्द्राज कर दिये जाने के कारण काश्त की आराजी को बिना किसी आदेश से गै.मु.खारड़ा की दर्ज की गई है जो इन्द्राज अवैध व शून्य है। सम्वत 2017 में उक्त खसरा नम्बर 745 की आराजी में 11 बीघा 4 बिस्वा पर वादीगण सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 से 5 के दादा व वादीगण सं. 2 के ससुर स्व. श्री शिवराम उर्फ श्योराम पुत्र सरदारा काबिज काश्त थे जिसके द्वारा की गई काश्त का उल्लेख सम्वत 2017 की जमाबंदी खसरा परिवर्तनशील निर्धारण गैर मुस्तकिल काश्त में दर्ज की गई है तथा इसी अनुसार सम्वत 2018 में काश्त फसल मोठ बाजरी का उल्लेख हल्का पटवारी ने खसरा गिरदावरी सम्वत 2018 के कॉलम सम्वत 2016 में कब्जेधारी का नाम कॉलम सं. 25 में काश्त की गई फसल व कॉलम सं. 32 में फसल काश्त कराई काश्तकार के नाम का अंकन किया गया है तथा संवत 2019 से 2031 तक में की गई काश्त का उल्लेख जमाबंदी खसरा परिवर्तनशील निर्धारण गैर प्रस्तावित काश्त में हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया है, जिससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि स्व. शिवराम उक्त आराजी पर सम्वत 2017 के पूर्व से काबिज काश्त था तथा उक्त आराजी पर कब्जा नियमित के समय शिवराम उर्फ श्योराम का कब्जा भी नियमित कर खातेदारी की जानी चाहिए थी किन्तु राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो ने उक्त आराजी को किस्म बिना किसी अधिकार के बदल दी गई जबकि स्व. शिवराम उर्फ श्योराम जब तक जीवित रहे काबिज होकर काश्त कर उसका उपयोग उपभोग किया है तथा परिवार सहित निवास कर उसमें ढ़ाणी विकसित की है जो वादीगण के परिवार के सदस्यो की है। तहसील नावां जिला नागौर की आराजी का भू–प्रबन्धक संवत 2046–2065 में किया गया जिसके तहत खसरा 745 की आराजी के भिन्न भिन्न नये खसरा नम्बर तथा काश्त के अनुसार भूमि की वास्तविक किस्म दर्ज की गई इसी अनुसरण में वादीगण में वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 745 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 2384 रकबा 0.30 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2386 रकबा 1.83 हैक्टर बारानी प्रथम तथा वादीगण की आवासीय ढ़ाणी के खसरा नम्बर 2385 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी के रूप में दर्ज किये गये जिसके अनुसार उक्त भूमि गै.मु.खारड़ा की नही रही है जिनको मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 745 के नये खसरा नम्बर 2384 2385 2386 अंकित किये गये, स्व. शिवराम उर्फ श्योराम के पुत्र रामलाल का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त नही रहा बल्कि उसका खसरा नम्बर 745 की 3 बीघा आराजी का पृथक से कब्जा काश्त था जो उसके नाम नियमित हो चुका है, स्व. भंवरलाल को उक्त आराजी शिवराम उर्फ श्योराम की विरासत से प्राप्त हुई है जिस पर भंवरलाल ने काबिज होकर काश्त की है जिसका उल्लेख खसरा परिवर्तनशील निर्धारण तथा गैर मुस्तकील काश्त संवत 2025 में हल्का पटवारी द्वारा काश्त करने का अंकन किया है, स्व. भंवरलाल क स्वर्गवास पश्चात विरासत अनुसार वर्तमान में उक्त आराजीयात पर वादीगण काबिज काश्त है व भूमि पर उपयोग

उपखण्ड अधिकारी

उपभोग करते आ रहे है तथा भूमि के चारो और करीब 5–5 फीट उंचाई की बाड़ कर रखी है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 के प्रावधान अनुसार भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान कब्जा काश्त वादीगण का होने से खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी तथा भू–प्रबन्ध के पूर्व सम्वत 2018 में भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार नियमित अथवा आवंटन की जानी चाहिए थी जबकि वर्तमान जमाबंदी में उक्त आराजी को गै.मु.खारड़ा गलत दर्ज किया है जो भू–प्रबन्ध जमाबंदी सम्वत 2046–2061 मे दर्ज किस्म के विपरीत है क्योंकि सम्वत 2046–2065 में उक्त आराजी बारानी प्रथम व गै.मु.ढ़ाणी दर्ज है जिसके आधार पर वर्तमान जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज अवैध व शून्य होने से वादीगण दुरूस्त करवाने को अधिकारी है, वादीगण उक्त आराजी पर निर्बाध रूप से लगातार काबिज होकर अपने बुजुर्गो के जमाने से काबिज काश्त है जिनके अधिकार धारा 15 व 19 के प्रावधान अनुसार उक्त आराजी में निहित हो चुके है तथा प्रतिवादी सं. 6 ने वादीगण को उक्त आराजी से कभी बेदखल नही किया है इस कारण धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार वादीगण के अधिकार परिपक्व हो चुके है इन वैधानिक प्रावधानों के तहत भी वादीगण उक्त आराजी के विधि अनुसार खातेदारी दिये जाने के अधिकारी हो गये है, वादीगण के वर्तमान में उक्त आराजी पर फसल काश्त कर रखी है तथा उसका उपयोग उपभोग कर रहे है किन्तु प्रतिवादी सं. 6 ने दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आकर वादीगण को उनके वैध कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर काश्त की गई फसल से वंचित करने पर उतारू है इसी उद्देश्य से प्रतिवादी सं. 6 ने अपने अधीनस्थ कारकूनो को वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर भेजकर दिनॉक 4.8.2017 को वादीगण को बेदखल कर काश्त की गई फसल को नष्ट करने का प्रयास किया तो वादीगण के द्वारा मना करने पर वादीगण के विरूद्व कार्यवाही कर उक्त आराजी से बेदखल से बेदखल करने की धमकी दी ऐसी स्थिति मे अपने हक अधिकारों की सुरक्षा कर अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाना आवश्यक होने से वाद विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना वादीगण को आवश्यक हुआ है, वादीगण की इस्तदुआ है कि वादीगण का वाद बाबत घोषणा खातेदारी विरूद्व प्रतिवादी सं. 6 डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2384 2385 2386 मे वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने हेतु प्रतिवादी सं. 6 को आदेश दिये जावे, प्रतिवादी सं. 6 को पांबद किया जावे कि वादीगण को उपरोक्त भूमि में से बेदखल नही किया जावे तथा वाद की परिस्थितियों को देखने हुये जो भी अनुतोष मान्य न्यायालय दिलवाया जाना उचित समझे धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 5 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिसके कारण उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाह अमल में लाई गई, प्रतिवादी सं. 6 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी सं. 6 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाद वादीगण स्वयं सिद्व करे तथा राजस्व अभिलेख (खतौनी बन्दोबस्त) सम्वत 2008 के अनुसार गत खसरा नम्बर 745 रकबा 5794 बीघा 11 बिस्वा भूमि

उपखण्ड अधिकारी

अर्थात राजा हरिसिंह वल्द ..... राजपूत सा. देह जागीरदार दर्ज थी, राजस्व अभिलेख अनुसार खसरा नम्बरर 2386 रकबा 1.28 हैक्टर व 2385 रकबा 0.02 हैक्टर राजकीय भूमि दर्ज है जिसमे सन 2017 में सोहनलाल पुत्र भंवरलाल बावरी व अन्य का अतिक्रमण था जिसको बेदखली व अर्थदण्ड से दिनॉक 03.10.2017 को आरोपित किया जा चुका है, विशेष कथन वर्तमान राजस्व अभिलेख अनुसार उपरोक्त भूमि गत भू–प्रबन्ध सम्वत 2008 में उक्त खसरा गत 745 की किस्म गै.मु.खारड़ा दर्ज थी जो जल भराव क्षेत्र की श्रेणी में आता है जिसमें खातेदारी अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्रोदभूत नही हो सके, वाद काबिल खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल की नकल,आंशिक नकल खतौनी सम्वत 2046–2065, नकल गिरदावरी सम्वत 2018–2021, की प्रति प्रस्तुत की है। प्रतिवादी सं. 6 की ओर से किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। वाद पत्र एवं प्रस्तुत जवाब दावा एवं उपलब्ध दस्तावेज अनुसार निम्न प्रकार तनकियात कायम की गई :–

तनकियात

1. आया ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 745 रकबा 5794 बीघा 11 बिस्वा में से गत खसरा नम्बर 745 के नये खसरा नम्बर 2384 रकबा 0.30 हैक्टर बारानी प्रथम खसरा नम्बर 2386 रकबा 1.28 हैक्टर बारानी प्रथम खसरा नम्बर 2385 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 को खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने के वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मुश्तहक है ?

—— **जिम्मे वादीगण**

2. आया वर्तमान राजस्व अभिलेख अनुसार उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज है, गत भू–प्रबन्ध सम्वत 2008 में उक्त खसरा गै.मु.खारड़ा दर्ज थी जो जल भराव क्षेत्र की श्रेणी में आता है जिसमे खातेदारी अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्रोदभूमि नही हो सकते है इसलिए वाद खारिज करवाये जाने के लिए प्रतिवादी सं. 6 मुश्तहक है ?

—— **जिम्मे प्रतिवादी सं. 6**

3. अनुतोष

मौखिक साक्ष्य में दोनो ओर से किसी प्रकार का शपथ–पत्र प्रस्तुत नही किया, प्रकरण में उभय पक्षकार अधिवक्ता एवं राजकीय पैराकार तहसीलदार कुचामनसिटी की बहस सुनी गई।

बहस दौरान वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर उनका पुरातन कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा पूर्वजो के पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 का नियमित कब्जा काश्त चला आया है तथा वर्तमान में राजकीय दर्ज है जिसमे खातेदारी कराने के उनको अधिकार है अतः वादग्रस्त भूमि की खातेदारी उनके नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादी सं. 6 ने बहस दौरान बताया है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय दर्ज है तथा सम्वत 2008 में गै.मु.खारड़ा दर्ज रही है जो जल भराव क्षेत्र की श्रेणी में आता है जिसमें खातेदारी अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्रोदभूत नही हो सकते इसलिए वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, तनकीवार निर्णय निम्नवत है :–

1. तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर रखा गया, जिन्होन जमाबन्दी नकल सम्वत 2046–65 एवं गिरदावरी नकल सम्वत 2018–2021 एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रस्तुत की। मिलान क्षेत्रफल अनुसार कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 745 के कुछ नये खसरा नम्बर 2384, 2385, 2386 अंकित हुए जिन पर वादीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त होना जाहिर किया है तथा खसरा परिवर्तनशील अनुसार समय समय पर इनके पूर्वजो के विरूद्व धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट 1956 के तहत कार्यवाही होकर बेदखली एवं जुर्माना समय समय पर आरोपित किया गया है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के पूर्वजो के पश्चात इनका कब्जा काश्त चला आया है तथा मौके पर ढ़ाणी बनाकर निवास करते आ रहे है एवं समय समय पर काश्त कर इसका उपयोग उपभोग करते आये है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत गिरदावरी नकल इत्यादि से होती है। वादी द्वारा निम्न नजीरे प्रस्तुत की है।

धारा 19 (1) नियत तिथि 5.4.1959 अनुसार (RRD 1973 page 661)

(1) – धारा 19 और अनु. जाति/जनजाति यह धारा नही कहती है कि S.C./S.T. का कोई सदस्य खातेदारी अधिकार प्राप्त नही नही कर सकता, S.C./S.T. के सदस्य को उस भूमि से वंचित नही करना चाहिये,जिसे वह वर्षो से जोतते आ रहे है, जब तक कि विधि यह स्पष्ट बताती हो कि–वे उस भूमि के लिये हकदार नही है। (2)– नियमित वाद संस्थित करने के सारवान उपचार का वर्जन नही (RRD 1988 page 885 खण्डपीठ) (Khasara Girdawari may not be a record of Right but they are public document prepased by a public sarvant in discharge of dutys according to the prescribed procedure and have great evidentiary value to show cultivator possession of a tenant.) (3)– RRD 1977 page 400, RRD 1977 page 81, RRD 1959 page 173 A. Khasara Girdawari- entries in- Evidentiary value.

प्रतिवादी सं. 6 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के विरूद्व प्रस्तुत नही किया है जिससे साबित हो सके कि इनका उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा हो एवं इनको कभी भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो।

प्रस्तुत गिरदावरी नकल सम्वत 2018 में कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 745 में शीवराम पुत्र सरदारा बावरी प.ज.11 बीघा 4 बिस्वा की प्रविष्टि दर्ज है, सम्वत 2020 में *T.P.* भींवाराम पुत्र सरदारा बावरी 11 बीघा 4 बिस्वा की प्रविष्टि दर्ज है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के पूर्वज एवं स्वयं वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 अनपढ़ एवं अनुसूचित जाति के सदस्य है जो निरक्षर होने की वजह से इन्होने उपरोक्त भूमि के नियमित किये जाने बाबत ध्यान नही दिया, परन्तु उपरोक्त भूमि पर लगातार ढ़ाणी मकान बनाकर निवास करते आये है तथा मौसमी बरसात के समय पर बाह जोत कर फसल लेकर अपने परिवार का पेट पालते आये है एवं इस भूमि के अलावा परिवार एवं स्वयं का भरण पोषण हेतु कोई दूसरा साधन नही है। मिलान

उपखण्ड अधिकारी

क्षेत्रफल की नकल से साबित है कि उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 2384, 2385, 2386 ही है जिसकी खातेदारी पाने के मुश्तहक है। उपलब्ध रेकार्ड बहस इत्यादि से तनकी सं. 1 को साबित करने में वादीगण सफल रहे है , अतः तनकी सं. 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2– इस तनकी सं. 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 6 पर रहा, प्रतिवादी सं. 6 द्वारा ऐसा कोई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे साबित हो सके कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 का उपरोक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा हो या वे मौके पर ढ़ाणी बनाकर निवास नही कर रहे हो। केवल जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि सम्वत 2008 में वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 745 की किस्म गै.मु.खारड़ा दर्ज रही है जो जल भराव क्षेत्र होने से खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते।

मिलान क्षेत्रफल इत्यादि का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि की वर्तमान किस्म बारानी प्रथम दर्ज है तथा काबिल काश्त भूमि अंकन है, जिससे साबित है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के पूर्वज एवं वर्तमान में वे अब भी उपरोक्त प्रश्नगत भूमि पर काबिज होकर लगातार काश्त करते आ रहे है। इस प्रकार तनकी सं. 2 प्रतिवादी सं. 6 साबित करने में असफल रहे, अतः तनकी सं. 2 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं. 6 के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी सं. 3 – अनुतोष

प्रकरण से अवलोकन से स्पष्ट हो चुका है कि प्रश्नगत भूमि जागीर की रही है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के पूर्वजो का लगातार कब्जा काश्त रहा है तथा जागीर रिज्यूम पश्चात भूमि राजकीय दर्ज हुई, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के पूर्वज एवं इनके पश्चात इनके उत्तराधिकारी बराबर काबिज होकर काश्त करते आये है तथा इनके विरूद्व समय समय पर अतिक्रमण की रिपोर्ट दर्ज हुई है जिससे साबित होता है कि कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 745 के नये आंशिक खसरा नम्बर 2384, 2385, 2386 में इनके अलावा अन्य किसी परिवार सदस्य या अन्य व्यक्तियों कभी कब्जा काश्त नही रहा है, उपरोक्त भूमि इनके नियमित नही होने की जानकारी इनको नही रही जिसका मुख्य कारण अनपढ़ रहना रहा है, खसरा परिवर्तनशील की प्रस्तुत प्रति अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के पूर्वज एवं तत्पश्चात इनके विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही चली आई। उपरोक्त भूमि पर आज दिन भी कब्जा काश्त एवं रहवासीय ढ़ाणी वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 की बनी हुई है। अतः वाद काबिल डिक्री पाये जाने से निम्नवत डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 2384 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म बारानी प्रथन, खसरा नम्बर 2385 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु.ढ़ाणी, 2386 रकबा 1.28 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी

कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि वह उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। डिक्री पर्चा भरा जावे।

आदेश आज दिनॉक 04.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 215/2017 **RCMS 2017/00263**

वादीगण

1. सोहनलाल पुत्र स्व. भंवरलाल जाति बावरी निवासी कड़वा का बास, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
2. जानकी पत्नी स्व. भंवरलाल जाति बावरी निवासी कड़वा का बास, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चुनादेवी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति बावरी
2. गौरादेवी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति बावरी
3. चूंकादेवी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति बावरी
4. सायरीदेवी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति बावरी
5. धापूदेवी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति बावरी निवासीगण कड़वा का बास, कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
6. तहसीलदार कुचामनसिटी प्रतिनिधि राजस्थान सरकार।

दावा घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट. 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री जसराज एवं श्री दिव्यराज अधिवक्ता हाजिरी ..... मिनजानिब मुदई रू–बरू तहसीलदार कुचामनसिटी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 2384 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म बारानी प्रथन, खसरा नम्बर 2385 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु.ढ़ाणी, 2386 रकबा 1.28 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि वह उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।**

निज ..... मुबलिग ..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्बा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04 माह 02 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत .....

ओहदा उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक/राजस्व/2019/ दिनॉकः—7.2.2020

प्रेषित :— तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :— राजस्व वाद संख्या 215/2017 RCMS 2017/00263सोहनलाल बनाम चुनादेवी वगैरह में डिक्री की पालना बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय राजस्व वाद संख्या 215/2017 RCMS 2017/00263 सोहनलाल बनाम चुनादेवी वगैरह में पारित डिक्री की प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

सलंग्नः—उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.08.20 15:28:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: